Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

दालत

राजु सिंह वगैरह राजेन्द्र सिंह बनाम मीकसिंह

ुकदमा 88, 89, 188, 92(A) नं. 30 सन् 2005

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
116	पत्रावली न्याय आपके डर कैम्प बागोल पेश हुई पक्षकारान उप० प्रतिवादी का। के ब्यान कलमबद्ध कराये जाके पत्रावली के चिद्ध / ग्राम पंचायत का वाकियात प्रमाणपत्र भी व्याप्त प्रतिवादी की जिसके अनुसार वादी व प्रतिवादीयों के 3 के ही सदस्य हैं उसी अनुसार वादी ने दावा डिक्री आदि का निवेदन किया। अतः वादी का वाद डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावली बहद पत्रावली डमीवदर फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता लेख्य भंडार जमा हो।	प्रतिवादीगण मीकसिंह मधवसिंह अरविंद सिंह केशरसिंह

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर देसूरी (जिला, पाली)

लोक अदालत / केम्प कोर्ट 2016

ठासीन अधिकारी : **श्री पर्वतसिंह चुण्डावत, आर0ए0एस0**
जस्व वाद संख्या : 30/2005

दीगण :- बनाम प्रतिवादीः-

ाजुसिंह उर्फ राजेन्द्रसिंह पुत्र भीकसिंह
ाति राजपुत निवासी बागोल

1. भीकसिंह पुत्र भोमसिंह
2. महावीरसिंह पुत्र भीकसिंह
3. अरविन्दसिंह पुत्र भीकसिंह
4. मृत धुलसिंह पुत्र भोमसिंह के वारिसान
4.1 इन्दरसिंह पुत्र धुलसिंह
4.2 हुकमसिंह पुत्र धुलसिंह
4.3 मोरकंवर पुत्र धुलसिंह
5. केसरसिंह पुत्र भोमसिंह
6.मदनसिंह पुत्र भोमसिंह
तमाम जातिगण राजपुत निवासी बागोल
7. तहसीलदार देसूरी भूमिधारी

राजस्व वाद बाबत अन्तर्गत 88,89,188,92ए राजस्थान काश्तकार अधिनियम, 1955
तारीख रजू: 30/05/2005
उपस्थितः- प्रतिवादीगण 1,2,3

-:: निर्णय ::-

दिनॉकः- 13/06/2016

"लोक अदालत / केम्प कोर्ट -2016 में राज्य सरकार के निर्देशानुसार मजमा-ए-आम शिविर ग्राम पंचायत देसूरी पर आयोजित लोक अदालत / केम्प कोर्ट" में वादीगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम बागोल पटवार हल्का बागोल के खसरा नम्बर 624,625,634/1718,617 कुल रकबा 1.19 हैक्टेयर में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1,2,3 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा घोषित कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतू निवेदन किया गया।

प्रतिवादीगण भीकसिंह,महावीरसिंह,अरविन्दसिंह द्वारा लोक अदालत शिविर में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम पंचायत बागोल द्वारा जारी वारिस प्रमाण-पत्र के अनुसार भीकसिंह पुत्र भोमसिंह के कुल 6 वारिस है। अतः इस अनुसार पैतृक भूमि मे से वादी का 1/6 हिस्सा यानि सम्पूर्ण कृषि आराजी में से 1/24 का हिस्सेदार है। प्रतिवादीगण 1,2,3 को वादी को 1/6 यानि सम्पूर्ण कृषि आराजी भूमि में से 1/24 हिस्सेदार घोषित करने हेतू किसी प्रकार की कोई आपति नही है। वादीगण के पिता के बयान कलमबद्ध किये गये उनके अनुसार वादी को 1/6 यानि सम्पूर्ण आराजी भूमि में से 1/24 वां हिस्सेदार घोषित किया जावे तो उन्हे किसी प्रकार का कोई ऐतराज नही है।

हमने पत्रावली प्रस्तुत दस्तावेजात, ग्राम पंचायत द्वारा जारी वारिस प्रमाण-पत्र एवं प्रतिवादीगणो के प्रार्थना-पत्र, प्रतिवादी संख्या 1 के बयानो के अवलोकन करने से स्पष्ट साबित होता है कि वादी को विवादित पैतृक कृषि आराजी में 1/6 हिस्सा यानि सम्पूर्ण कृषि आराजी में 1/24 हिस्सेदार घोषित करने हेतू वादपत्र में डिक्री करना उचित समझता हूँ।

-:: आदेश ::-

अतः अन्तिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि वादीगण के पिता नाम सरहद मौजा ग्राम बागोल के जमाबंदी संवत् 2069-2072 के खसरा नम्बर 624,625,634,634/1718,617 कुल रकबा 1.19 हैक्टेयर में वादी को 1/6 हिस्सा यानि सम्पूर्ण कृषि आराजी में 1/24 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल किया जावें। निर्णय,डिक्री पर्चा की प्रति, तहसीलदार, देसूरी को पालना हेतू भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेखा भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी, देसूरी
जिला पाली
उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)

निर्णय आज दिनॉक 13/06/2016 को लोक अदालत / केम्प कोर्ट 2016 शिविर अटल सेवा केन्द्र बागोल में सरे मजमा आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, देसूरी
जिला पाली
उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अदालत :– उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– देसूरी

जलास :– श्री पर्वतसिंह चुण्डावत , आर0ए0एस0

गण :– बनाम प्रतिवादीः–

ुसिंह उर्फ राजेन्द्रसिंह पुत्र भीकसिंह
ति राजपुत निवासी बागोल

1. भीकसिंह पुत्र भोमसिंह
2. महावीरसिंह पुत्र भीकसिंह
3. अरविन्दसिंह पुत्र भीकसिंह
4. मृत धुलसिंह पुत्र भोमसिंह के वारिसान
4.1 इन्दरसिंह पुत्र धुलसिंह
4.2 हुकमसिंह पुत्र धुलसिंह
4.3 मोरकंवर पुत्र धुलसिंह
5. केसरसिंह पुत्र भोमसिंह
6. मदनसिंह पुत्र भोमसिंह

तमाम जातिगण राजपुत निवासी बागोल

7. तहसीलदार देसूरी भूमिधारी

राजस्व वाद बाबत् घोषणा, मु0न0 :रा0वा0 स0: । 30/2005
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकार अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु ....–....... व हाजरी ...., वादीगण मिनजानिब मुद्धई व ...., प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक अतः अन्तिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि वादीगण के पिता नाम सरहद मौजा ग्राम बागोल के जमाबंदी संवत् 2069–2072 के खसरा नम्बर 624,625,634,634/1718,617 कुल रकबा 1.19 हैक्टेयर में वादी को 1/6 हिस्सा यानि सम्पूर्ण कृषि आराजी में 1/24 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। निर्णय,डिक्री पर्चा की प्रति, तहसीलदार, देसूरी को पालना हेतू भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेखा भण्डार जमा हो।नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक ..।..–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर लोक अदालत / केम्प कोर्ट शिविर बागोल के आज तारीख 13/06/2016 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी,देसूरी
(जिला–पाली)

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)

मुद्धई	रु३३३३३ण्णपये पैसे	मुद्धायलाह	रुपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	....	स्टाम्प वकालतनामा	....
स्टाम्प वकालतनामा	....	स्टाम्प अर्जी	....
स्टाम्प वजह सबूत	....	महनताना वकील	....
महनताना वकील	....	खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	....	फीस कमीश्नर	....
फीस कमीश्नर	....	बाबत ईजराय हुक्मनामा	....
बाबत ईजराय हुक्मनामा	....	मुत्फरिक	....
मिजानः–		मिजानः–	

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

उपखण्ड अधिकारी,देसूरी
(जिला–पाली)

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)